न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल गुप्ता आई.ए.एस.

अपील संख्या : 14/2014 आर्म्स एक्ट

अनवानी :– बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ ।

——— अपीलांट

–– बनाम ––

स्टेट ऑफ राजस्थान ।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री भागीरथ राम कालवा — अभिभाषक अपीलांट
श्री ललित शर्मा — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 24.4.18

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 30.7.2014 जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/1987 डीएम/श्रीगंगानागर को आगामी आदेश तक निलम्बित कर 30 बोर माउजर रिवाल्वर/पिस्टल नं0 85266 को पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन में जमा करने के आदेश दिये गये, कि विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री बलविन्द्रसिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/87 डीएम/श्रीगंगानागर (समस्त राजस्थान के लिए) जारीशुदा है, जिस पर शस्त्र 30 बोर माउजर रिवाल्वर/पिस्टल नं0 85266 दर्ज है, जो दिनांक 25.10.2011 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 9.9.2013 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 1632 दिनांक 16.10.13 में अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन में मुकदमा सं. 471/2012 अन्तर्गत धारा 308, 325, 323, 341, 34 आईपीसी में दर्ज होकर दिनांक 12.2.2013 को न्यायालय में चालान पेश किया गया, जो तजबीज अदालत है । इसके अलावा मुकदमा सं0 454/2013 धारा 420, 465, 467, 468, 472, 384, 386, 120बी आई.पी.सी. में दर्ज होकर जैर तफतीश पुलिस है। दर्ज मुकदमों के आधार पर जिला पुलिस

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गयी । उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 18.11.13 को प्रार्थी अपीलान्ट के निमित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा किन कारणों से नवीनीकरण प्रार्थना पत्र 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है ? जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29–5–14 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र पुलिस थाना हनुमानगढ में जमा है, भूलवश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन नहीं कर पाया, अतः मियाद को कन्डोन किया जावे । जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट एवं अपीलान्ट द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्र लगभग 2वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/1987 को आगामी आदेशों तक निलम्बित किया जाकर अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिये । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/87 डीएम/श्रीगंगानागर (समस्त राजस्थान के लिए) जारीशुदा है, जिस पर शस्त्र 30 बोर माउजर रिवाल्वर/पिस्टल नं0 85266 दर्ज है, जो दिनांक 25.10.2011 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के समक्ष आवेदन एवम् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई । जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन में मुकदमा सं. 471/2012 अन्तर्गत धारा 308, 325, 323, 341, 34 आईपीसी में दर्ज होकर दिनांक 12.2.2013 को न्यायालय में चालान पेश होकर विचाराधीन होने तथा मुकदमा सं0 454/2013 धारा 420, 465, 467, 468, 472, 384, 386, 120बी आई.पी.सी. में दर्ज होकर जैर तफतीश पुलिस होने के आधार पर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गयी । यह कि अपीलान्ट के विरुध्द दर्ज हुए उक्त दोनों प्रकरण आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत साधारण प्रकृति के मुकदमे थे । उक्त दर्ज मुकदमों में मुकदमा संख्या 471/2012 में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं01, हनुमानगढ द्वारा निर्णय दिनांक 23.8.2017 पारित कर अपीलान्ट को आरोपों से दोष मुक्त किया जा चुका है तथा अन्य मुकदमा सं0 454/2013 में पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन द्वारा तफतीश में प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द कोई आरोप न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हनुमानगढ की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–14 पारित कर अपीलान्ट के विरुध्द दर्ज मुकदमों के अन्तिम निस्तारण होने तक शस्त्र लाइसेंस आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया है। अब चूँकि प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द हुए मुकदमा सं0 471/2012 में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं0 1 हनुमानगढ द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को दोष मुक्त किया जा चुका है तथा अन्य मुकदमा सं0 454/2013 जो पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन में तफतीश हेतु विचाराधीन था, में अपीलान्ट के विरुध्द कोई आरोप न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है ।

4. जहां तक प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गयी, महज भूलवश आर्म्स लाइसेंस नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन नहीं कर पाया । इस आशय का प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा शस्त्र का कभी दुरूपयोग नहीं किया गया है न ही वर्तमान में अपीलांट के विरुध्द कोई मुकदमा विचाराधीन है । यह कि अपीलान्ट के पास वर्ष 1987 से शस्त्र लाइसेंस जारी शुदा है, जिसका कभी भी दुररुपयोग नहीं किया गया तथा पूर्व में समय पर नवीनीकरण करवाया गया है ।

5. यह कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.7.14 के विरूद्व अपीलार्थी को आक्षेपित आदेश की जानकारी दिनांक 25.8.2014 को होने पर दिनांक 26.8.14 को नकल प्राप्त कर निर्धारित मियाद अवधि में यह अपील प्रस्तुत की गयी है । प्रार्थी अपीलान्ट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः अपील मियाद शुमार जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.14 निरस्त कर अपील अपीलान्ट रिमाण्ड फरमाई जावे ।

6. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द 2 आपराधिक मुकदमे विचाराधीन होने एवं अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र लगभग 2 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रसारित कर जवाब प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थी अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 11/78 डीएम/श्रीगंगानगर आदेश दिनांक 21.7.14 द्वारा उचित ही निलम्बित किया गया है । अपीलान्ट को नये सिरे से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना चाहिए । अतः यह अपील अपीलांट अस्वीकार फरमायी जावें।

समादेशीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/87 डीएम. गंगानगर जो दिनांक 25.10.2011 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलांट ने दिनांक 9.9.2013 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 1632 दिनांक 16.10.13 में अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरुध्द पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन में मुकदमा सं. 471/2012 अन्तर्गत धारा 308, 325, 323, 341, 34 आईपीसी में दर्ज होकर दिनांक 12.2.2013 को न्यायालय में चालान पेश किया गया, जो तजबीज अदालत है । इसके अलावा मुकदमा सं0 454/2013 धारा 420, 465, 467, 468, 472, 384, 386, 120बी आई.पी.सी. में दर्ज होकर जैर तफतीश पुलिस है। दर्ज मुकदमों के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गयी । उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 18.11.13 को प्रार्थी अपीलान्ट के निमित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा किन कारणों से नवीनीकरण प्रार्थना पत्र 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है ? जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29–5–14 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र पुलिस थाना हनुमानगढ में जमा है, भूलवश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन नहीं कर पाया अतः मियाद को कन्डोन किया जावे । जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट एवं अपीलान्ट द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्र लगभग 2वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/1987 को आगामी आदेशों तक निलम्बित किया जाकर अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिये । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

8. अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, हनुमनगढ़ के आदेश दिनांक 30.7.2014 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17.9.2014 को 17 दिवस की देरी से प्रस्तुत की गयी है । उक्त देरी के सम्बन्ध में अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.8.2014 को होने पर उसी दिन प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक

प्रभागीय आयुक्त
बीकानेर

26.8.14 को नकल प्राप्त होने पर निर्धारित मियाद अवधि में अपील प्रस्तुत की गयी है । नियमानुसार अपील दाखिल करने की परिसीमा तब प्ररम्भ होती है, जब निलम्बन की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जाती है । प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में अपील को मियाद में शुमार किया जाता है ।

9. प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन पत्र विलम्ब से पेश करने एवं पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरुध्द गम्भीर प्रकृति की धाराओं के अन्तर्गत अभियोग सं0 471/2012 एवं 454/2013 विचाराधीन होने के कारण अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 11/1987 डी. एम गंगानगर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत लोक शान्ति की सुरक्षा के लिए आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया है, जो कि अन्तिम आदेश नहीं है । शस्त्र अधिनियम् 1959 की धारा 17(3) के अनुसार ''अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र को ऐसी कालावधि के लिए जैसी वह ठीक समझे, निलम्बित कर सकेगा ''। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस में मुख्य रुप से कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 16.10.13 में वर्णित मुकदमा सं0 471/2012 में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं01, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 23.8.2017 द्वारा दोष मुक्त किया जा चुका है तथा अन्य मुकदमा सं0 454/2013 जो पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन में तफतीश हेतु विचाराधीन था, में अपीलान्ट के विरुध्द कोई आरोप न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है । हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मुकदमा सं0 471/12 में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं01, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 23.8.2017 एवं पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन में तफतीश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया । उक्त निर्णय एवं तफतीश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को आपराधिक प्रकरण सं0 471/12 में दोषमुक्त किया गया है तथा अन्य मुकदमा सं0 454/13 में पुलिस थाना हनुमानगढ द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द चालान पेश नहीं किया गया है । प्रार्थी अपीलान्ट ने नवीनीकरण का आवेदन पत्र लगभग 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गयी, महज भूलवश आर्म्स लाइसेंस नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन नहीं कर पाया । इस आशय का प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया गया। अपीलान्ट का वर्ष 1987 से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी शुदा है, जिसमें 25–10–2011 तक लगातार नवीनीकरण हुआ है । अपीलान्ट के

समागीय आयुक्त
बीकानेर

विरुध्द आपराधिक मुकदमों के विचाराधीन होने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 16.10.13 प्रेषित की गयी थी, उसमें अपीलान्ट दोष मुक्त हो जाने से स्थिति में परिवर्तन हो चुका है । इस प्रकार अपीलान्ट के प्रकरण में सद्भाविक तौर पर पुनः विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 9.9.13 पर पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर शस्त्र अधिनियम में विद्यमान प्रावधानें के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जावे ।

11. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे । निर्णय आज दिनांक 24–4–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/4/18

(अनिल गुप्ता)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर